योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता/ कोर्ट केस

अर्द्ध.शा.प.सं.-59/08रिट/47-का-3-2014/3/7/2014

कार्मिक अनुभाग-3

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ : दिनांक : 4 अप्रैल, 2014

आदरणीय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-2440/2014 पुष्पेन्द्र कुमार वार्ष्णेय व अन्य बनाम स्टेट व अन्य के संबंध में प्रेषित मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 18.02.2014 जो आपको सम्बोधित व प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मुख्य रूप से याची सहकारी कताई मिल्स लि0 के सहायक लेखाधिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में प्रबन्धक (वित्त)/ लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। याची द्वारा सरकारी सेवा में समायोजन कर समस्त सामान्य लाभ उपलब्ध कराने हेतु रिट याचिका दायर की गयी है। प्रश्नगत रिट याचिका में सरकार की ओर से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रतिवाद किया जाना है। इसी तरह समस्त याचिकाओं तथा विशेष अपील में पैरवी औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की गयी है। अतः वर्णित स्थिति में प्रश्नगत याचिका में सभी प्रतिवादियों की ओर से समस्त कार्यवाही/ पैरवी औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ही समुचित रूप से की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि रिट पिटीशन नोटिस संख्या-2440/2014 पुष्पेन्द्र कुमार वार्ष्णेय व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में विरोध/ पैरवी समस्त प्रतिवादीगण की ओर से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाय। यदि कार्मिक विभाग का किसी बिन्दु पर परामर्श की आवश्यकता हो तो कृपया परामर्श प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(योगेश्वर राम मिश्र)

श्री धीरज साहू
सचिव
औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-1)
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in